an>

Title: Need to recruit adequate number of special teachers for differently-abled students in Uttar Pradesh and also regularize the services of special teachers working on contract basis in the State.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में 6 से 14 वर्ष तक के विकलांग छात्रों की संख्या लगभग 4.15 लाख से भी अधिक है, जिसके सापेक्ष नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के दिशा-निर्देशों के अनुसार 30:1 के अनुपात में 14 हजार विशेष शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए थी, किंतु वर्ष 2005 में संविदा पर 2721 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई जिनको आज तक स्थायी नहीं किया गया, जबकि इनके ही समकक्ष सामान्य बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षा मित्रों को विशेष प्रशिक्षण देकर स्थायी शिक्षक बनाया गया है। असामान्य बच्चों की समुचित शिक्षा के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया कि पर्याप्त विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाए, किंतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे बच्चों की शिक्षा में कठिनाई हो रही है।

भारत सरकार के अधीन एन.सी.टी.ई. (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षा) के गजट दिनांक 23.08.2010 व 29.07.2011 के अनुसार D.Ed. (विशेष शिक्षा) व B.Ed. (विशेष शिक्षा) अर्ह अभ्यर्थियों को परिषदीय विद्यालय में सहायक शिक्षक हेतु मान्य किया गया है, जिसका अनुपालन दिल्ली सरकार, झारखंड सरकार, हरियाणा व पंजाब सरकार द्वारा किया जा रहा है, किंतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो D.Ed. व B.Ed. (विशेष शिक्षा) प्राप्त अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है।

मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से मांग करता हूं कि उ.प्र. में असामान्य बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनकी समुचित शिक्षा के लिए स्वयं संज्ञान लेकर बच्चों की संख्या के अनुपात में अविलम्ब विशेष शिक्षकों की भर्ती करायें तथा पहले से संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को यदि अर्ह हैं तो स्थायी किया जाए। यदि नहीं हैं तो शिक्षा मित्रों की तरह इन्हें भी विशेष प्रशिक्षण देकर स्थायी नियुक्ति की जाए।